न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :— 04/2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/575

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

मुकेश मेहता पुत्र सुरेश कुमार, फर्म मैसर्स कल्पना स्पोईसेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर। निवासी नागौरी बास, चौकरी कला, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

—:आदेश:— दिनांक :— 17.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.09.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स कल्पना स्पोईसेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय निर्माण इकाई पर विक्रेता व मालिक की हैसियत से मुकेश मेहता उपस्थित मिले तथा आम जनता को विक्रय हेतु लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया एवं अन्य मसालों का निर्माण कर रहे थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसएआई अनु0 12214032000423 एवं फर्म का जीएसटी प्रमाण—पत्र एवं स्वय का पहचान पत्र पेश किया। परिसर का निरीक्षण करने पर 40 किलोग्राम के 46 बैग्स एवं 50 किलोग्राम के 28 बैग्स मे लाल मिर्च पाउडर करीबन कुल मात्रा 3240 आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को 400 रूपये नगद देकर लाल मिर्च पाउडर 2 किलोग्राम वास्ते जांच नमूनीकरण हेतु मुकेश मेहता से एक साफ सु[illegible] में खरीदा तथा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। [illegible] के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested

विक्रेता व गवाह के सामने धनिया पाउडर को हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सुखी खाली एवं साफ सुखे जारों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर एयर टाईट बन्द कर इन भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2996 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2996 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2996 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

उक्त नमूना लेने के पश्चात 40 किलोग्राम के 46 बैग्स एवं 50 किलोग्राम के 28 बैग्स में लाल मिर्च करीबन कुल मात्रा 3238 किलोग्राम सिज्ड कर सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर स्थित कमरें में सिज्ड एवं सिल्ड कर खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश मेहता को जरिये प्रारूप 2 एवं प्रारूप 3 के द्वारा जब्त कर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ लगाकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested

चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 15.09.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2996 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 14.09.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 14.09.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 916–917 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस./1645/एक्ट/2022/1647 दिनांक 22.09.2022 मुकेश मेहता को नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की गई। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त लाल मिर्च पाउडर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल जोशी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 08.05.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 17.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी की निर्माण इकाई से जो सैम्पल किया गया है वह केवल और केवल एक पैकेट से लिया गया है जबकि मौके पर 74 पॉली बैग्स में लाल मिर्च पाउडर रखा हुआ था। अप्रार्थी ने जान बूझकर किसी भी प्रकार की मिलावट नही की है। अप्रार्थी पिछले कई वर्षो से मसालों का व्यापार कर रहा है लेकिन पहली बार उनका सैम्पल अमानक स्तर का आया है। अतः अप्रार्थी से पहली बार गलती हुई है तथा अप्रार्थी आदतन अपराधी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भविष्य में इस तरह की पुनरावर्ति नहीं होगी। बहस के अन्त में कम से कम शुल्क से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कल्पना स्पोईसेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी मुकेश मेहता पुत्र सुरेश कुमार पर शास्ती रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. मुकेश मेहता पुत्र सुरेश कुमार, फर्म मैसर्स कल्पना स्पोईसेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर। निवासी नागौरी बास, चौकरी कला, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)